20रु. कोर्ट फी Rs.20 COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(20)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

विविध प्रकरण

अजित कुमार जैन तनय स्व. श्री प्रेमचंद जैन . विविध - 9177 - I-16

निवासी ग्राम बगौता , हाल निवास दूधनाथ मंदिर के पास,

तह. व जिला छतरपुर म.प्र. ....आवेदक

विरूद्ध

म.प्र.शासन ....अनावेदक

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. सहपठित धारा 32 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

आवेदक निम्नलिखित प्रार्थना करता है :–

1. यह कि, आवेदक द्वारा एक निगरानी जिसका प्रकरण क्रमांक 1281–एक/15 प्रस्तुत कर ग्राम बगौता स्थित भूमि खसरा क्र 1846/4 रकवा 0.866 हे को पेंच भूमि होने के आधार पर बंटित कर राजस्व अभिलेख नाम दर्ज किए जाने एंव अधीनस्थ न्यायालय के आदेश निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी थी। तथा माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 26/7/16 को अपना अंतिम आदेश पारित आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किए जाने का आदेश पारित किया गया था, परंतु माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश में नजूल अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रकरण क्र 04/अ–20–1/2011–12 आदेश क्र 103/नजूल/2012 दिनांक 16/5/12 प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निरस्त किया जाना तथा आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना त्रृटिवश लेख नहीं किया गया है।

2. यह कि, उपरोक्त संशोधन माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26/7/16 में लेख किया जाना आवश्यक है जिससे माननीय न्यायालय के आदेश का पूर्ण क्रियावन्न अधीनस्थ न्यायालय व अधिकारियों द्वारा किया जा सके तथा आवेदक का निगरानी प्रस्तुत करने का उद्देश व माननीय न्यायालय से प्राप्त आदेश सफल हो सके।

(जितेन्द्र सिंघई) एड0
94251-71223

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध-9।77।16 जिला ....छतरपुर..........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-9-16	1– आवेदक अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. सहपठित धारा 32 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959 पर प्रकरण आज लिया गया। 2– आवेदक द्वारा बताया गया है कि इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण क्रमांक 1281–एक/15 पक्षकारान् अजित कुमार जैन विरूद्व म.प्र.शासन पारित आदेश दिनांक 26/7/16 के द्वारा आवेदक की निगरानी स्वीकार कर प्रश्नाधीन भूमि का बंटन आवेदक के पक्ष में करते हुए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त किए गए है परंतु उक्त आदेश के अंतिम पैरा अर्थात् पैरा क्रमांक 4 में प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्रमांक 1846/4 रकवा 0.866 हे. के संबंध में नजूल अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ–20–1/11–12 आदेश 103/नजूल/2012 दिनांक 16/5/12 आवेदक के हित तक निरस्त किया जाना लेख नहीं किया गया है। 3– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने व आदेश का अवलोकन किया। आवेदक के तर्क से सहमत होते हुए इस न्यायालय के प्रकरण क्र 1281–एक/15 मे पारित आदेश दिनांक 26/7/16 के पैरा क्र 4 में नजूल अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 04/अ–20–1/11–12 आदेश 103/नजूल/2012 दिनांक 16/5/12 आवेदक के हित तक प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में निरस्त किया जाना पढा जावे तथा राजस्व अभिलेख में प्रश्नाधीन भूमि आवेदक के नाम पर दर्ज की जावे। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	